

धारा 13 : सेवाओं *की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है

- (1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति का स्थान अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान भारत से बाहर है।
- (2) उपधारा (3) से उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा :
परन्तु जहां सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान कारबार के सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध नहीं है, वहां पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा।
- (3) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात् :
 - (क) ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाएं, जिनमें सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए, सेवाओं के पूर्तिकार या सेवाओं के पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास वस्तुतः उपलब्ध होना अपेक्षित है:
परन्तु जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में दूरस्थ अवस्थान से प्रदान की जाती हैं, तब पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां माल सेवा की पूर्ति के समय स्थित है :
- ¹[**परन्तु यह और** कि इस खंड अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होंगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य उपचार या प्रक्रिया के लिए स्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के लिए, अपेक्षित हैं, उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना ऐसी मरम्मत, उपचार या प्रक्रिया के लिए निर्यात कर दी जाती है;]
- (ख) किसी व्यक्ति को पूर्ति की गई सेवाएं, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सेवाओं की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति अपेक्षित है।
- (4) किसी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में पूर्ति, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में पूर्ति की गई सेवाएं भी हैं, किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब या शिविर स्थल, जिस भी नाम से ज्ञात हो, में वास-सुविधा की पूर्ति, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रदान किए जाने का, सन्निर्माण कार्य, जिसके अन्तर्गत वास्तुविद या आंतरिक सज्जाकार भी हैं, को कार्यान्वित करने या उसका समन्वय करने के लिए सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, प्रत्यक्षतः पूर्ति की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां स्थावर सम्पत्ति अवस्थित है या अवस्थित होनी आशयित है।
- (5) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह या अनुष्ठान या सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या उसी प्रकार के समारोह में प्रवेश के रूप में पूर्ति की गई

* राजपत्र में "का" छपा है।

¹ एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा परन्तुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019-एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु यह और** कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई ऐसी सेवाओं की दशा में लागू नहीं होगी, जो भारत में मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई हैं और ऐसी मरम्मत के लिए जो अपेक्षित हैं, उससे भिन्न भारत में किसी अन्य उपयोग में लिए बिना मरम्मत के पश्चात् निर्यात कर दी जाती हैं;"

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

सेवाओं और ऐसे प्रवेश या संगठन की सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है।

- (6) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट किन्हीं सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक अवस्थानों पर की जाती है, जिसके अन्तर्गत कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान भी है, उनकी पूर्ति का स्थान, कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान होगा।
- (7) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

- (8) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा, अर्थात् :

- (क) किसी बैंककारी कम्पनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी द्वारा खाता धारकों को पूर्ति की गई सेवाएं;
- (ख) मध्यवर्तीय सेवाएं;
- (ग) ऐसी सेवाएं, जिसमें परिवहन के साधनों को एक मास की अवधि तक के लिए किराए पर लेना सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत नौका भी हैं, किन्तु जिसके अन्तर्गत वायुयान और जलयान नहीं हैं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “खाता” पद से जमाकर्ता को ब्याज देने वाला कोई खाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अनिवासी विदेशी खाता और कई अनिवासी साधारण खाता भी है;

- (ख) “बैंककारी कंपनी” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क और खंड (क) में है;

- (ग) “वित्तीय संस्था” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा *[45झ] के खंड (ग) में है;

- (घ) “गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

- (i) कोई वित्तीय संस्था, जो कोई कम्पनी है;
- (ii) कोई गैर-बैंककारी संस्था, जो कोई कम्पनी है और जिसका मुख्य कारबार, किसी स्कीम या ठहराव या किसी अन्य रीति के अधीन निक्षेप प्राप्त करना या किसी रीति में उधार देना है; या

- (iii) ऐसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

* राजपत्र में “51झ” छपा है, यहां “45झ” अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(9) ²[.....]

(10) यात्री परिवहन सेवाओं की बाबत पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है।

(11) किसी यात्री परिवहन प्रचालन के प्रक्रम के दौरान वाहन के फलक पर प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अन्तर्गत फलक पर रहते हुए पूर्णतः या सारतः उपभोग किए जाने के लिए आशयित सेवाएं भी हैं, यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान का प्रथम अनुसूचित बिन्दु होगा।

(12) आनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित होना समझा जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई दो गैर-विरोधात्मक शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पते का अवस्थान कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ख) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वेल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड, जिसके द्वारा सेवाओं का प्राप्तिकर्ता संदाय का परिनिर्धारण करता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में जारी किया गया है;

(ग) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बिलिंग पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(घ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए यंत्र का इंटरनेट प्राटोकाल पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ङ.) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बैंक, जिसमें वह संदाय के लिए प्रयोग किया गया खाता रखता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(च) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किया सक्सक्राइबर आईडेंटिटी माड्यूल कार्ड का कंट्री कोड कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(छ) उस स्थिर लैंड लाइन का अवस्थान, जिसके माध्यम से प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है।

(13) किसी सेवा की पूर्ति के दोहरे कराधान या गैर-कराधान के निवारण के लिए या नियमों के एकरूपता से लागू होने के लिए सरकार को सेवाओं के किसी प्रकार को या परिस्थितियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी, जिसमें पूर्ति का स्थान सेवा की प्रभावी उपयोग और सेवा के उपभोग का स्थान होगा।

2 वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा उपधारा (9) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“(9) मेल या कुरिअर के रूप में माल के परिवहन से भिन्न माल के परिवहन की सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतत्व स्थान होगा।”